

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 8/2019

तारीखरज- 9-1-19

उनवान- कपूर आदि बनाम हरिकरण वगै०

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा 188 रा0टि0एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
1-1-19	<p>वादी की ओर से श्री राममरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 05.02.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
5 ² / ₁₉	<p>वादी पक्षीय उपस्थित / परिवादी नं०. 1, 2, 3 उपस्थित / 120 साक्ष्य कार्य के खारु हैं। वादी क्षत्रीय आदेश दिनांक 15-3-19 को पेश हो।</p>
12-3-19	<p>वादी वकील उप० / प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हैं। केवल एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वादी साक्ष्य वादी पेश करने दिनांक 15-4-19 को पेश हो।</p>
15-4-19	<p>वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी द्वारा कार्य से करौली पधारें। अतः पत्रावली नोटिस दिनांक 27-5-19 को पेश हो।</p>
27-5-19	<p>वादी वकील उप० / वादी साक्ष्य पेश करने समय-बालु समय दिया गया। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17-6-19 को पेश हो।</p>

175-77

10-1-19









15-4-19

मना

नयनीत

मननीत

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
17.6.19	वादी वकील उपर) वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 9.7.19 को पेश हो। 
9.7.19   	वादी वकील उपर) वादी कपूर, किस्तूर-चौद, माधोसिंह उपस्थित हुए। शपथपत्र पेश किये। शामिल रहे। 9.0 सा. करौली पधारे की आर्द्ध दिनांक 11.7.19 को पेश हो। 
11.7.19 	वादी वकील उपर) कहल सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 15.7.19 को पेश हो। 
15.7.19	वादी वकील उपस्थित। दाया डिक्ली किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पन्चा डिक्ली जारी करें। पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर से क्रम होकर दाखिल दफ्तर हो।  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

17.6.19
9.7.19
11.7.19
15.7.19